

कृषि ऋण प्रबंध एवं समस्याएं छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिला के विशेष संदर्भ में**डॉ. जयसिंग साहू ,**

सहा. प्राध्यापक भूगोल , शास. कमलादेवी महिला महा. राजनांदगांव छ.ग.

डॉ. अनिल मिश्रा ,

सहा. प्राध्यापक भूगोल , शास. दिग्विजय पी. जी. महा. राजनांदगांव छ.ग.

कृषि छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था का आधार है , सन 2011 के जनगणना के अनुसार 69 प्रतिशत लोग ग्रामीण है जिनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है , कृषि देश के 60 प्रतिशत से अधिक लोगो को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराती है । भारतीय कृषि को आज भी " मानसून का जुआं " कहा जाता है , क्योंकि मानसून समय पर नहीं आता है तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है । मानसून के साथ ही कृषि एक और महत्वपूर्ण कारक पर निर्भर है और वह है ऋण प्रबंध अर्थात सही समय पर ऋण प्राप्ति किसानों के लिए अमृत का कार्य करती है । प्रदेश के छोटे और सीमान्त कृषक पूर्णतः कृषि उपज पर ही निर्भर होते है । इसके साथ ही यदि किसानो को समय पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता तो उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करने पड़ता है ।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रत्येक शोध का एक निश्चित उद्देश्य होते है , प्रस्तुत शोध का उद्देश्य प्रदेश के बहुसंख्यक कृषको की आर्थिक स्थिति का आंकलन करना है । जिससे भासन उचित नियोजन कर सके ।

शोध क्षेत्र का चुनाव :-

छत्तीसगढ़ का उचित प्रतिनिधित्व हेतु राजनांदगांव जिला का चयन एक कृषि प्रधान जिला के रूप में किया गया । अतः शोध क्षेत्र का चुनाव में अपने गृह जिला

**GEOGRAPHERS TODAY**

ISSN No. 3139-9568 (Online)

Vol. - 01

No.- 01

को प्राथमिकता देते हुए शोध क्षेत्र का चुनाव किया गया है। प्रदेश का उचित प्रतिनिधित्व के लिए जिला के 200 कृषकों का दैव निदर्शन विधि से चुनाव किया गया।

क्षेत्रीय निरीक्षण :-

व्यापक तथा गहन भोध हेतु प्रारंभिक निरीक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए जिला के विभिन्न गांवों में सर्वेक्षण एवं निरीक्षण किया गया। गांव में कृषि उद्यम वाले परिवारों से कृषि में संबंधी जानकारी हासिल की गयी। एक गांव में प्रतिनिधित्व हेतु साक्षात्कार भी लिया गया। जिसमें ग्रामीण अंचल के लोगों ने इसमें पर्याप्त सहयोग प्रदान किया।

आंकड़ों का संकलन :-

प्रस्तुत चयनित शोध को पूर्ण करने के लिए दोनों प्रकार के स्रोतों प्राथमिक एवं द्वितीयक का सहारा लिया गया है। प्राथमिक आंकड़ा एकत्रिकरण के लिए अनुसूची एवं साक्षात्कार जैसे प्रविधियां का सहारा लिया गया है। द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत सरकारी अभिलेखों का भी सहारा लिया गया है।

मानचित्र का निर्माण :-

मानचित्र एवं आरेखों के बिना भूगोल में भोध कार्य अधूरा रह जाता है। अतः विशेषताओं की स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक मानचित्रण किया गया है, ताकि देखते ही स्पष्ट हो सके कि वास्तविक स्थिति क्या है, इसके लिए मानचित्रण तथा आरेखन दोनों ही प्रकार के विधियां उपयोग में लायी गयी हैं।

सामान्य परिचय :-

छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिला प्रदेश के पश्चिम भाग शिवनाथ बेसीन का एक अंश है। सर्वेक्षित जिला प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों की दृष्टि से विकासमान कृषि क्षेत्र है। राजनांदगांव जिला की स्थिति धरातल पत्रक क्रमांक 64 सी में दर्शाया गया है जिला की कुल क्षेत्रफल 8222 वर्ग कि. मी. है। सन 2011 में यहां की कुल जनसंख्या 1537520 है।

स्थिति एवं विस्तार :-

राजनांदगांव जिला अक्षांश 20° 29' उत्तरी अक्षांश से 21° 60' उत्तरी अक्षांश से के बीच तथा देशान्तरीय स्थिति 80° 43' पूर्वी देशांतर से 81° 23' पूर्वी

देशांतर के बीच है। जिला शिवनाथ प्रवाह क्षेत्र में आता है , जो महानदी की प्रमुख सहायक नदी है ।

ऋण के प्रमुख स्रोत

प्रदेश के कृषको की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के दो प्रमुख स्रोत है

क. संस्थागत स्रोत ,

ख. गैर-संस्थागत स्रोत

क.संस्थागत स्रोत :-

संस्थागत कृषि ऋण स्रोत में ऐसी राशियां शामिल की जाती है जो सहकारी समितियों , वाणिज्य बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा उपलब्ध करायी जाती है । ये स्रोत निम्नलिखित है -

1. सहकारी समितियां :-

सहकारी समितियां वित्त प्रबंध गांव में किसानों के लिए ऋण उपलब्धि का सबसे सस्ता और बढ़िया स्रोत है । इसमें किसानों को शोषण का भय नहीं रहता । लेकिन सहकारिता प्रदेश के कृषको का जीवन का अंग नहीं बन पाया है ।

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :-

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । इनकी 90 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण ऋण ग़रिबी को समाप्त करना , लघु और सीमान्त कृषकों एवं खेतिहर मजदूरी आदि की वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है । इन बैंको का 50 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार के पास , 15 प्रतिशत भाग राज्य सरकार के पास एवं 35 प्रतिशत भाग स्वयं बैंक के पास होता है । प्रदेश के कुल कृषि ऋण प्रवाह में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का हिस्सा लगभग 10 प्रतिशत है । राजनांदगांव जिला में

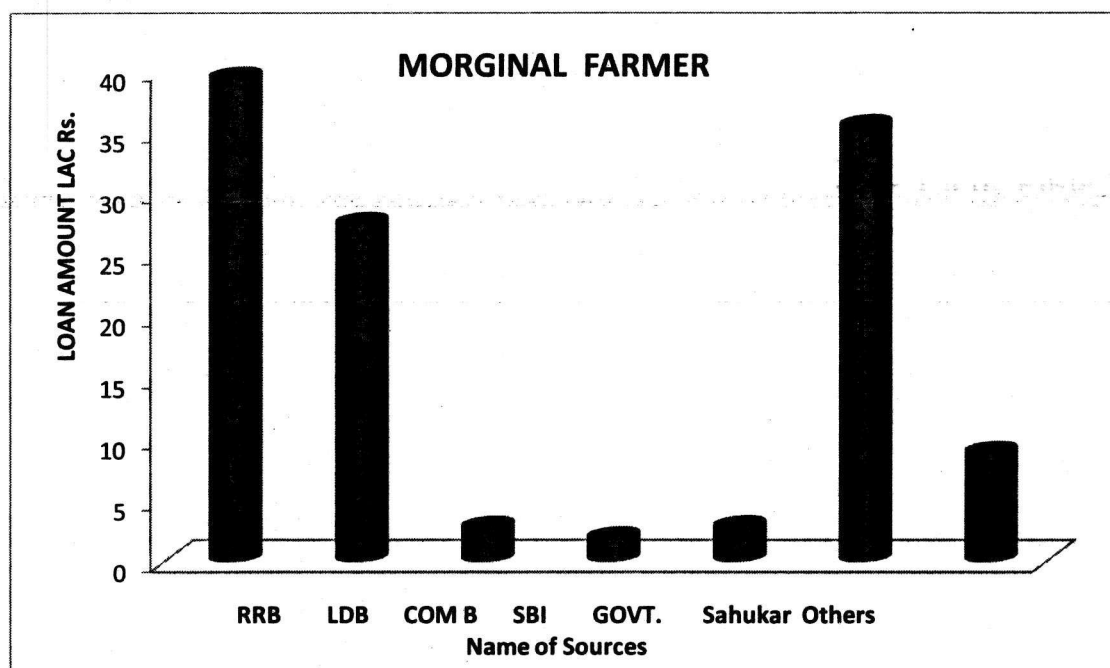
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा सत्र 2016-17 में चयनित 200 कृषको को 70.33 लाख का ऋण प्रदान किया गया , जो कुल ऋण का 27.33 प्रतिशत है ।

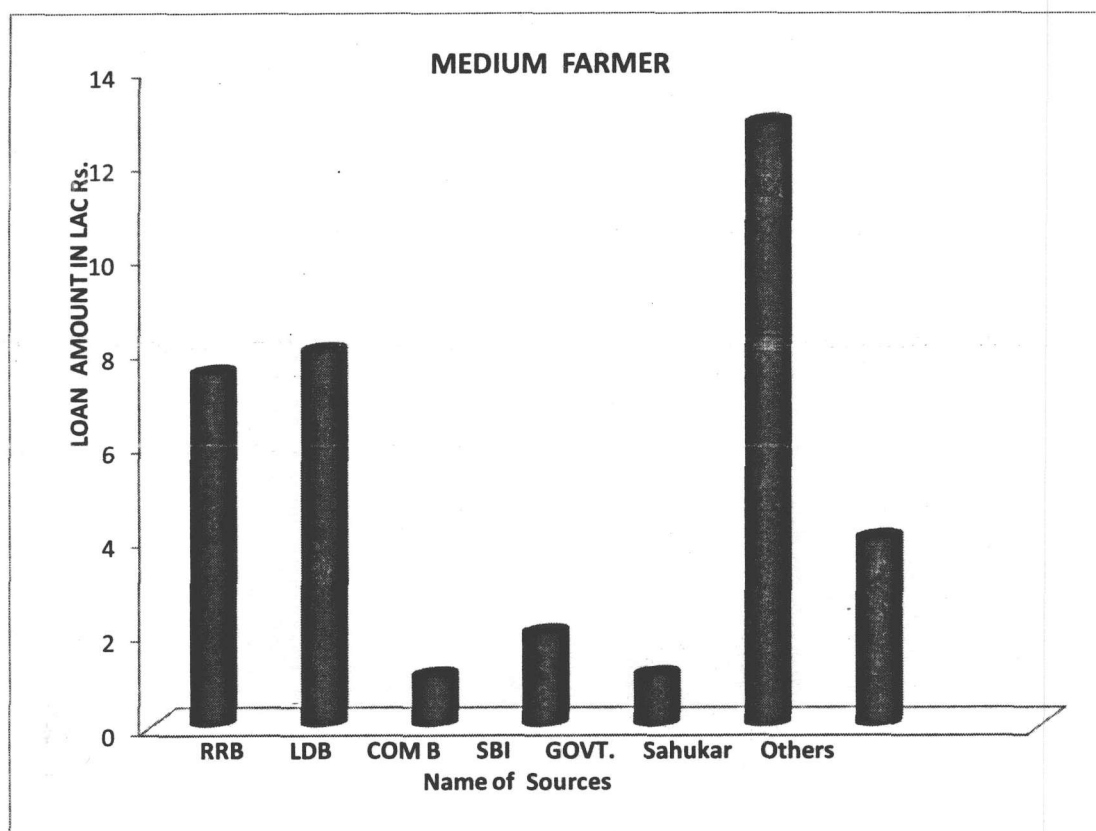
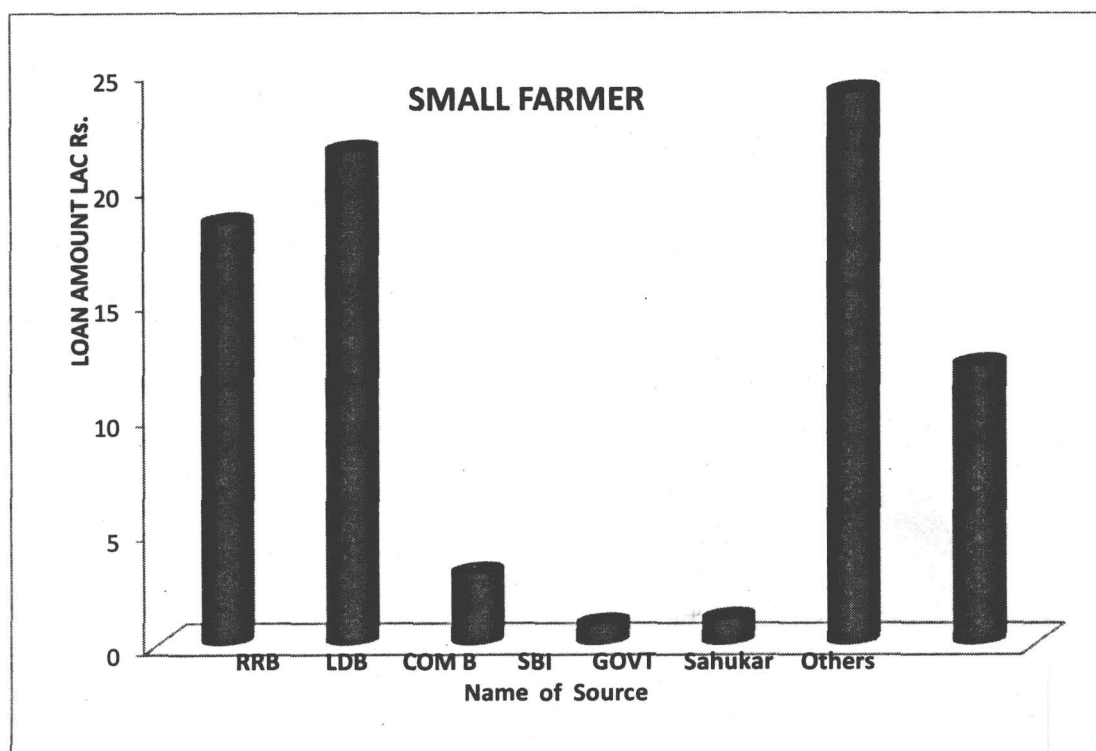
राजनांदगांव जिला कृषि ऋण 2016-17 कृषि ऋण लाख रुपये में

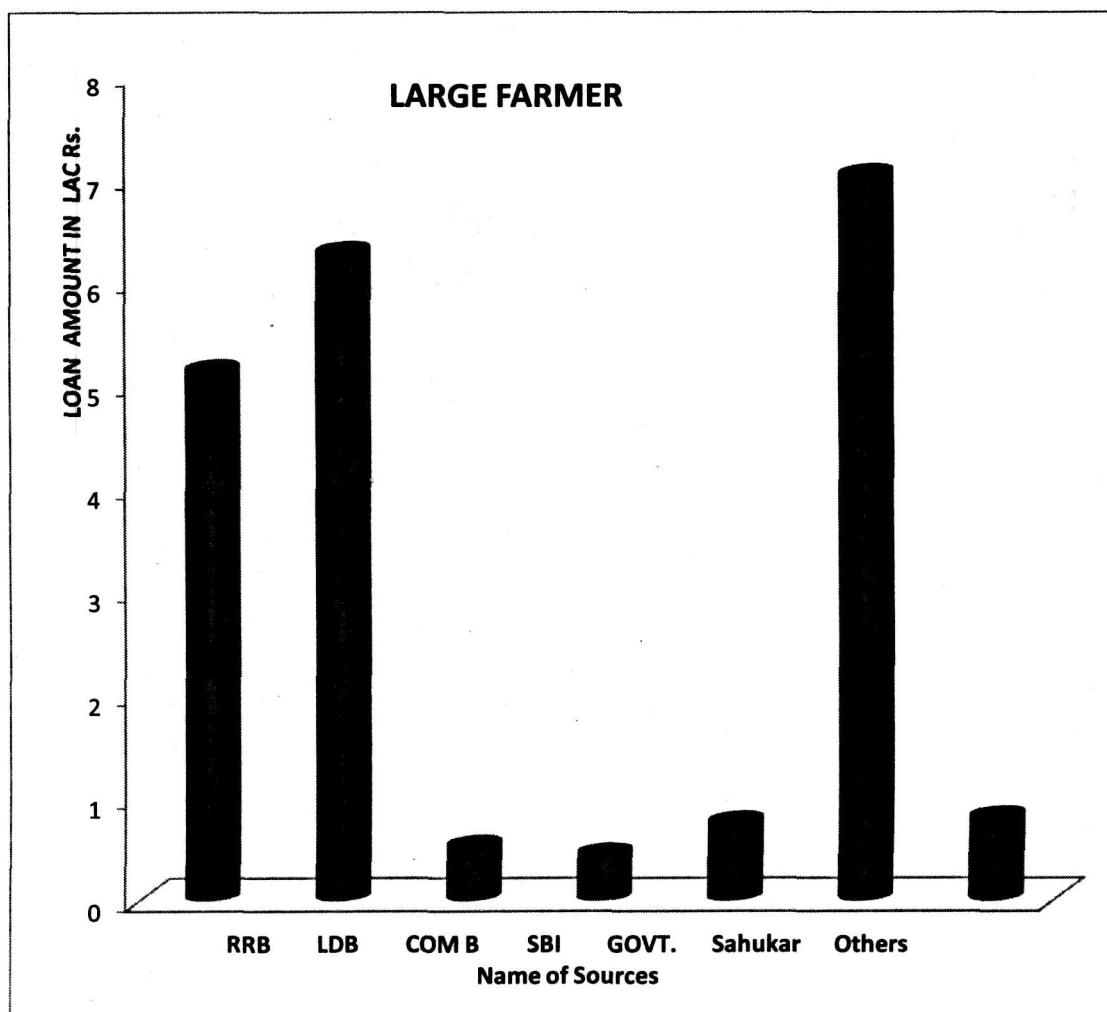
ऋण का स्रोत	किसान की जोत सीमा							
	सीमान्त कृषक		लघु कृषक		मध्यम कृषक		दीर्घ कृषक	
	ऋण राशि	ऋण % में	ऋण राशि	ऋण % में	ऋण राशि	ऋण % में	ऋण राशि	ऋण % में
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	39.35	32.44	18.37	22.35	7.48	20.62	5.13	24.51
भूमि विकास बैंक	27.45	22.63	21.50	26.15	7.95	21.92	6.27	29.96
व्यापारिक बैंक	2.75	2.27	3.12	3.80	1.05	2.89	0.52	2.48
एस.बी.आई	1.89	1.56	0.88	1.07	1.96	5.40	0.44	2.10
सरकार	2.80	2.31	1.11	1.35	1.07	2.95	0.75	3.58
साहूकार	35.47	29.24	24.05	29.25	12.80	35.29	7.02	33.54
अन्य	8.87	7.31	12.18	14.82	3.96	10.92	0.80	3.82
योग	121.29	100	82.21	100	36.27	100	20.93	100
किसान क्रेडिट कार्ड	27.37	22.57	22.82	27.76	10.16	28.01	7.32	34.97

स्रोत :- व्यक्तिगत सर्वेक्षण

RAJNANDGAON DISTRICT AGRICULTURE LOAN 2016-17







3. भूमि विकास बैंक :-

भूमि विकास बैंक वे है जो भूमि की प्रतिभूति पर कृषकों को दीर्घ

कालीन ऋण देते है । भूमि विकास बैंकों द्वारा किसानो को सामान्यतः 15 – 20 वर्षों के लिए ऋण प्रदान किये जाते है । राजनांदगांव जिला में भूमि विकास बैंक द्वारा सत्र 2016–17 में चयनित कृषको को 63.17 लाख का ऋण प्रदान किया गया , जो कुल ऋण का 24.38 प्रतिशत है

भूमि विकास बैंक साधारणतः तीन कार्यों के लिए ऋण प्रदान करते है ।

अ. भूमि पर स्थायी सुधार जैसे परती भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए एवं सिचाई के साधनों जैसे कएं , नलकूप आदि के लिए ।

ब. कृषि यंत्रो जैसे ट्रैक्टर थ्रेसर आदि के लिए ।

स. पुराने ऋणों के भुगतान आदि के लिए ।

4. नाबार्ड :-

देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यों की वित्त व्यवस्था के लिए , कृषि साख संस्थाओं को पुनः वित्त प्रदान करने के लिए , वित्त संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए कृषि वित्त की सर्वोच्च संस्था के रूप में 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि, ग्रामीण लघु उद्योगों , दस्तकारी एवं ग्रामीण कला के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है ।

5. व्यापारिक बैंक :-

व्यापारिक बैंकों द्वारा अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक दोनों प्रकार के ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं । व्यापारिक बैंकों का कुल प्रदत्त ऋणों में योगदान 3 प्रतिशत से भी कम है । राजनांदगांव जिला में व्यापारिक बैंकों द्वारा सत्र 2016-17 में चयनित 200 कृषकों को 7.44 लाख का ऋण प्रदान किया गया , जो कुल ऋण का 2.90 प्रतिशत है ।

6. भारतीय स्टेट बैंक :-

कृषि कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की साख सुविधाएं प्रदान करने में भारतीय स्टेट बैंक भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । यह बैंक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप में साख उपलब्ध कराता है । राजनांदगांव जिला में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सत्र 2016-17 में चयनित 200 कृषकों को 5.17 लाख का ऋण प्रदान किया गया , जो कुल ऋण का 2.01 प्रतिशत है ।

7. सरकार :-

सरकार भी समय-समय पर किसानों के ऋण उपलब्ध कराती है । सरकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही तरह से कृषि को वित्तीय सहायता प्रदान करती है । अप्रत्यक्ष रूप से यह सहायता सहकारी साख समितियों के माध्यम से दी जाती है , एवं प्रत्यक्ष रूप से जिन्हे तकाबी कहा जाता है , प्रायः बाढ़ , अकाल या अन्य संकट के समय दिये जाते हैं । राजनांदगांव जिला में सरकार द्वारा सत्र 2016-17 में चयनित 200 कृषकों को 5.73 लाख का ऋण प्रदान किया गया , जो कुल ऋण का 2.23 प्रतिशत है ।

8. किसान क्रेडिट कार्ड :-

किसान क्रेडिट कार्ड भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड के संयुक्त प्रयासों से वर्ष 1998-99 में चलन में आया । किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन ऋण कम ब्याज दर पर सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराया जाता है । किसान क्रेडिट कार्ड सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से जारी किये जाते

है । राजनांदगांव जिला में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सत्र 2016-17 में चयनित 200 कृषकों को 67.67 लाख का ऋण प्रदान किया गया , जो कुल ऋण का 26.33 प्रतिशत है ।

राजनांदगांव जिला कृषि ऋण में किसान क्रेडिट कार्ड का योगदान 2016-17
कृषि ऋण लाख रुपये में

ऋण का स्रोत	किसान की जोत सीमा			
	सीमान्त कृषक	लघु कृषक	मध्यम कृषक	दीर्घ कृषक
किसान क्रेडिट कार्ड	27.37	22.82	10.16	7.32
प्रतिशत में	23.08	27.76	28.01	34.97
योग	121.29	82.21	36.27	20.93

स्रोत :- व्यक्तिगत सर्वेक्षण

ख. गैर संस्थागत स्रोत

साहूकार :- गैर संस्थागत स्रोतों में गांव के ही महाजन या साहूकार आते हैं । ये महाजन या साहूकार उत्पादक एवं अनुत्पादक दोनों प्रकार के प्रयोजनों के लिए अल्पावधि एवं मध्यावधि ऋण प्रदान करते हैं । लेकिन इसके बदले वे ऊंची ब्याज दर वसूल करते हैं । राजनांदगांव जिला में महाजन या साहूकारों ने सत्र 2016-17 में चयनित 200 कृषकों को सर्वाधिक 79.34 लाख का ऋण प्रदान किया गया , जो कुल ऋण का 30.87 प्रतिशत है ।

कृषि ऋण की चुनौतियां :-

वर्तमान में प्रदेश के कृषक निम्नलिखित कृषि ऋण की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं ।

1. संस्थागत स्रोतों से कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है , कई माह तक चक्कर लगाने पर यह प्राप्त हो पाता है। इसमें भी बिचौलियों की संख्या काफी होती है ।
2. कृषि ऋण फसली सीजन में होना चाहिए जबकि अधिकांश बैंकों द्वारा इस तथ्य का ख्याल न रख कर अपनी सुविधा के अनुसार ऋण वितरण किया जाता है ।
3. असमय ऋण वितरण के कारण किसान किसान क्रेडिट कार्ड से प्राप्त राशियों का उपयोग कृषि कार्य में न कर अन्यत्र करते हैं ।
4. कृषि क्षेत्र को दिया जाने वाला ऋण पूर्णतः कृषि एवं कृषकों के लिए नहीं होता बल्कि भंडारगृह , शीतगारो , सिचाई , विद्युतीकरण आदि जैसे कार्यों के लिए दिये जाने वाला ऋण कृषि ऋण मान लिया जाता है ।
5. आज भी छोटे एवं मझौले किसानों की पहुंच संस्थागत ऋण स्रोतों तक नहीं हो पायी है ।

6. प्राथमिक क्षेत्र घोषित करने के बावजूद कुल ऋण का एक तिहाई ऋण फसली सीजन में बैंको उपलब्ध न कराया जा सका है ।

सारांश

कृषि छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था का आधार है , सन 2011 के जनगणना के अनुसार 69 प्रतिशत लोग ग्रामीण है । जिनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है , कृषि देश के 60 प्रतिशत से अधिक लोगो को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराती है । भारतीय कृषि को आज भी " मानसून का जुआं " कहा जाता है । साथ ही कृषि एक और महत्वपूर्ण कारक पर निर्भर है और वह है ऋण प्रबंध , प्रदेश के छोटे और सीमान्त कृषक पूर्णतः कृषि उपज पर ही निर्भर होते है । इसके साथ ही यदि किसानो को समय पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता , तो उन्हे बहुत सी समस्याओं का सामना करने पड़ता है । आज भी कृषि ऋण के लिए कृषक भारतीय बैंकों पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं है तथा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कुल ऋण का मात्र 26.33 प्रतिशत ऋण उपलब्ध हो पा रहा है । जो उन्नत कृषि पद्धति अपनाने के लिए अपर्याप्त है । संस्थागत स्रोतों से कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है । कृषि को प्राथमिक क्षेत्र घोषित करने के बावजूद कुल ऋण का एक तिहाई ऋण फसली सीजन में बैंको द्वारा उपलब्ध न कराया जा सका है ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- | | |
|-----------------------------|--|
| Aruni , K.Z. | Agricultural land use Alligarh Distt. Kumar
Publication Alligarh 1971 |
| A. Chandrakar | Agricultural Land Use and nutrition in the Raigarh
District of M.P. 1979 RSU Raipur |
| Rous | Land Use in Upper Mahanadi Basin Ph.D. Thesis
Unpublished 1977 |
| कुमार प्रमीला | "मध्यप्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन" म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी
भोपाल 1977 |
| कुमार प्रमीला एवं कमल शर्मा | "कृषि भूगोल" म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल 1980 |
| संजय त्रिपाठी | छत्तीसगढ़ वृहद संदर्भ उपकार प्रकाशन आगरा |
| श्रीवास्तव , कमिलनी | "शिवनाथ बेसिन के संसाधन" अप्रकाशित पी.एच.डी. शोध
प्रबंध रविशंकर वि.वि. रायपुर |